

रखने वाले अपने पास रखें)

दिनांक

यदि धारक या आवेदन

1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015

संख्या-पत्र की क्रमांक
विवरण फीस को प्राप्त हुई

आवेदन की संख्या 3/2015

रकम पैसे

योग रकम

रकम

(1) संख्या-पत्र की प्रस्तुत करने की फीस 2000/-

(2) धारा 62 के अनुसार प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार प्रस्तुत करने की फीस

(4) धारा 35 के अनुसार प्रस्तुत करने की फीस

विभिन्न फीस

(1) साधारण अथवा विशेष अथवा प्रस्तावना प्रस्तुत करने की फीस

(2) धारा 62 के अनुसार प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार प्रस्तुत करने की फीस अथवा सम्मानपत्र प्रस्तुत करने के कारण चुकाई हुई फीस

(4) कार्यवाही तथा प्रस्तावना प्रस्तुत करने की फीस

(5) रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत करने की फीस

(6) साधारण फीस

(7) मंजूरवन्द लिखाफे (विशेष) प्रस्तुत करने की फीस अथवा अमानत रखने, वापिस होने अथवा खोलने की फीस

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस

(9) अन्य विविध प्रकार की राशि (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस 3320=00

दिनांक 1/3/2015

यदि धारक या आवेदन प्रस्तुत करने के हस्ताक्षर और लोटये

या नाम की तारीख

रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार के कार्यालय
राजपुर (राज.)

Rushy

राजपुर



विक्रय पत्र तादादी 3,12,000 /-रु० तीन लाख बारह हजार रुपया मात्र
 स्टाम्प राजकीय वेल्युएशन से तादादी 25,000 /-पचीस हजार रुपया मात्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 31-7-2005 ई० को निम्न पक्षकारान विक्रेता प्रथम पक्षकार द्वारा क्रेता द्वितीय पक्षकार के पक्ष में निम्न प्रकार से सम्पादित किया जाता है :-

विक्रेता:-

श्री दिलखुश, सुखलाल रामचन्द्र, गिरजालाल पिता सोहनलाल जो जाति ब्रामण(मंदावत), उम्र 60, 54, 52, 48 वर्ष, पेशा क्रमश:-पेंशनर, नौकरी, काश्त, नौकरी, निवासी-भीण्डर, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज०)

—प्रथम पक्षकार

क्रेता:-

श्री मेवाड शारीरिक शिक्षा समिति, हीन्ता-भीण्डर,
 अध्यक्ष- श्री गणपतलाल जो पिता श्री एकलिंग जी जाति मेनारिया ब्रामण उम्र-47 वर्ष, पेशा-व्यापार एवं कृषि, निवासी- बासड़ा, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज०)

—द्वितीय पक्षकार

क्रमश:-—2पर

श्री दिलखुश मंदावत
 श्री गणपतलाल जो
 2005
 अध्यक्ष, भीण्डर
 पेशा-उदयपुर (राज०)



यह कि ग्राम फौजबडली, पटवार मण्डल-चारगदिया, उप तहसील-भीण्डर, तहसील-कलननगर, जिला-उदयपुर (राज) में स्थित खाता संख्या 21 की आराजी नम्बर 255 रकबा 9 दिश्वा किस्म ह0सेकण्ड 1 बीगा 5 दिश्वा उसर 4 दिश्वा, लगानी 0.81, आ0नं0 256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273) रकबा 5 बीगा 3 दिश्वा किस्म बी0सेकण्ड लगानी 1-94 रू0, आ0नं0 257 रकबा 4 दिश्वा किस्म खडा, आ0नं0 258 रकबा 6 दिश्वा किस्म ह0सेकण्ड, लगानी 0-25 रू0, आ0नं0 259 रकबा 13 दिश्वा, किस्म ह0 सेकण्ड, लगानी 260 रू0, आ0नं0 261 रकबा 18 दिश्वा किस्म ह0 सेकण्ड, लगानी 0-69 रू0, आ0नं0 262-263 रकबा 15 दिश्वा किस्म ह0फस्ट 5 दिश्वा, ह0सेकण्ड 10 दिश्वा, लगानी 0-62, आ0नं0 267 रकबा 1 बीगा 1 दिश्वा किस्म खा0सेकण्ड 2-13, आ0नं0 270 रकबा 14 दिश्वा किस्म ह0सेकण्ड लगानी 0-50 रू0, कुल कीता 9 रकबा 11 बीगा 3 दिश्वा, लगानी 7-44 रू0, का हिस्सा 1/3 से 74.33 दिश्वा, भूमि को बिल एवज 1000/-रू0 अक्षरें तीन लाख बारह हजार रूपया के प्रतिफल में आप केता द्वितीय पक्षकार को सिपुर्द कर दिया है सो आप केता द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि का अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग- उपभोग करें भविष्य में हर प्रकार से अन्य को हस्तान्तरित करें

हस्ताक्षर: श्री राजेश्वर प्रसाद शर्मा

2/2/22
 राजेश्वर प्रसाद शर्मा
 जिला-उदयपुर (राज)
 तहसील-कलननगर



-3-

हम इसका किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं हैं, आज से आप कंता द्वितीय पक्षकार ही इसका मालिक एवं अधिपत्यधारी हैं।

3: यह कि विक्रय राशि रुपये 3,12,000/-रु०, अक्षरें तीन लाख बारह हजार रुपये। विक्रेता प्रथम पक्षकार ने आप कंता द्वितीय पक्षकार से दी बैंक आफ राजस्थान लि० शाखा जयपुर के चेक नं० कमश: 063914, 063915, 063916, 063917 कमश: राशि 78,000/-रु० के तहत, हम चारों विक्रेताओं के नाम पर अलग-2 प्राप्त कर लिये हैं, अब कोई राशि लेना शेष नहीं है। इसकी प्राप्ति की अनिस्वीकृती वक्त, रजिस्ट्री कर देंगे।

4: यह कि इस विक्रय मुद्रा द्वारा उक्त वर्णित विक्रित आराजीयात को आप कंता राजस्थान रजिस्ट्रारों में अपने नाम पर परिवर्तन करा लें।

5: यह कि उक्त वर्णित विक्रित आराजीयात हम विक्रेता प्रथम पक्षकार ने आज से पूर्व किसी व्यक्ति को रहन, बेह, बकास, बसीयत आदि किसी प्रकार से हस्तान्तरित की हुई नहीं है। इस भूमि पर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था, या किसी व्यक्ति का कोई ऋण एवं भार नहीं है। यदि इस पर किसी प्रकार का कोई ऋण या भार होगा तो उसकी अदायगी का जवाब हम विक्रेता का है व रहेगा।

6: यह कि इस विक्रय बाबत हम विक्रेता प्रथम पक्षकार के कुटुम्बी, परिवारजन, उत्तराधिकारीयो का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई उजर या ऐतराज नहीं है, इस पर किसी प्रकार का कोई वाद किसी न्यायालय में नहीं चल रहा है। अगर कोई उजर या ऐतराज करेगा तो कोई ऋण भार या विवाद होगा तो उसकी समस्त प्रकार की अदायगी व उत्तरदायित्व एवं जवाब की जिम्मेदारी हम विक्रेता प्रथम पक्षकार की रहेगी और उनका मन हम विक्रेता प्रथम पक्षकार स्वयं अपने घराघरू मनायेंगे।

कमश:—4पर

हम विक्रेता प्रथम पक्षकार *(Signature)* राम चंद्र शर्मा गिरनारी

2022

हपपजोयक, भाण्डव
दिसा-बदरपुर (राज.)

बदरपुर
दिसा-बदरपुर (राज.)

5000Rs.

24



-4-

यह कि हम विक्रेता प्रथम पक्षकार की किसी त्रुटी या स्वत्व की कमी के कारण कर्णित विक्रित भूमि या उसका कोई अंश आप केता द्वितीय पक्षकार के कब्जे से निकलेंगे जो जरे विक्रय राशि नय हरजा खरचा लागत हर्जाने आदि की अदायगी का जिम्मा प्रथम पक्षकार का रहेगा और आप केता द्वितीय पक्षकार हमसे व हमारी दिगर क्षमता के अन्दर आयादाद से विधेवल बतुल कर सकेंगे ।

यह कि इस विक्रय पत्र के मुद्राक एवं पंजीयन आदि का समस्त व्यय आप केता प्रथम पक्षकार ने वहन किया है ।

अतः यह विक्रय पत्र हम विक्रेता प्रथम पक्षकार ने अपने पूर्ण प्रसन्नचित एवं स्थिति के बिना किसी भय या दबाव के प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्वेच्छा से राजकीय मुद्रांक संख्या 380 तादादी क्रमशः 5,000/- जुमला कीता 5 व संलग्न सप्लीमेन्दी पेपर कीता एक कीता 5 तादादी 25,000/- पच्चीस हजार रूपया पर हस्ताक्षर कर सम्पादित करा दिनांक 23/08/2005 आद्यण वर्तमान दिनांक अनुसार दिनांक 31-7-2005 ई0 को अंकित कर सप्लीमेन्दी के समक्ष भौण्डर में केता पढकर, सुनकर, समझकर अपने हस्ताक्षर कर सम्पादित किया है कि सही सनम्द यह शक्त जरूरत काम आवे ।

दिनांक 31-7-2005 ई0.
स्था: श्रीपन्डर (राज.)

हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता (विक्रेता प्रथम पक्षकार)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

स्था: श्रीपन्डर (राज.)

पंजीयन की तारीख

दिनांक

25

5000Rs.



-5-

साक्षी:-

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता साक्षीगण इस विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर साक्ष्य करते हैं कि उक्त विक्रय पत्र विक्रेता प्रथम पक्षकार ने हमारे सम्मुख पढ़कर, सुनकर पढ़ाकर अपने लिखित गणित सही सत्य तथा विक्रय पत्र में वर्णित राशि प्राप्त की अपने हस्ताक्षर कर सम्पादन किया। उपरोक्त विक्रेता प्रथम पक्षकार को हम स्वीकारते हैं।

दिनांक 21/05/05
हस्ताक्षर
[Signature]

1- नाम - राजेश कुमार शर्मा
पिता का नाम - श्री. विनय कुमार शर्मा
जाति - ब्राह्मण निवासी - भीड़र
तहसील - बल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राज.)

[Signature]

2- नाम - कल्पित शर्मा शर्मा
पिता का नाम - श्री. राजेश कुमार शर्मा
जाति - ब्राह्मण निवासी - भीड़र
तहसील - बल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राज.)

दिनांक 21/05/05
हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता
(विक्रेता प्रथम पक्षकार)
कमरा - 6पर

दिनांक 21/05/05
[Signature]

उपपंजीयक, भीड़र
उदयपुर (राज.)

2005

26

विक्रित भूमि सम्बन्धित विवरण निम्न हैं :-

- 1- कि विक्रित आराजीयात के खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, लगान उपर अंकित हैं ।
- 2- कि विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 74.33 बिश्वा हैं । जिसमें किस्म खादी का हि0 7बिश्वा हैं ।
- 3- कि विक्रित भूमि असिंचित हैं । पिलाई का कोई साधन नहीं हैं । भूमि पडत होकर वर्तमान में एक साखी हैं । भूमि की किस्म में खडडा बताया गया है किन्तु मौक पर समतल कर दिया गया है ।
- 4- कि विक्रित भूमि ग्राम जौजबडली के पूर्व तरफ आबादी से 1/2 किमी की पर स्थित हैं ।
- 5- कि विक्रित भूमि के आस-पास कोई औद्योगिक वाणिज्यिक, आवासीय ईकाइया आदि नहीं हैं ।
- 6- कि भावों में कोई उतार चढ़ाव नहीं हैं ।
- 7- कि विक्रय राशि बाजार मुल्य से कम नहीं है ।

दिनांक:- 31-7-2005 ई0

बि. प्रहारायत राज-पंडित
जौजबडली

पिल शुरु मन्दावत

(विक्रता प्रथम पक्षकार)
हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता

राज-पंडित, जौजबडली
राज-पंडित (राज-पंडित)

2005

राज-पंडित
जौजबडली

78

संसाधन (वर्धन) का निष्कर्ष
विकास क्षेत्र - राजसिंह
पंचायत क्षेत्र - राजसिंह
वर्धन योजना - राजसिंह
संवत् 2025

(किसानों के उत्पन्न के लिए)
संसाधन संवत् 2025-26

क्र. सं.	संसाधन	वर्धन	विकास	प्रकार	प्रति हेक्टर	प्रति एकड़	प्रति एकड़	प्रति एकड़	प्रति एकड़	प्रति एकड़	वर्धन योजना																
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	20	03123	राजसिंह	राजसिंह	225	245	250	252	255	258	260	262	265	268	270	272	275	278	280	282	285	288	290	292	295	298	300
2	20	03123	राजसिंह	राजसिंह	225	245	250	252	255	258	260	262	265	268	270	272	275	278	280	282	285	288	290	292	295	298	300

राजसिंह

प्रधान कार्यालय

राजसिंह, राजसिंह

सिद्धांत-भूत 75000/-
 भूकम्प-भूत 114000/-
 स्थान 114000/-

98

(3)

53/74

श्री जयसिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत निवासी जौलाना

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. प्राप्त करने वाले वा बहिस्त-पत्र देने वाले का नाम श्री जयसिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत निवासी जौलाना

- (1) आधारभूत फीस रशिदों
- (2) सिद्धांत-पत्र की पुस्तक में प्रतिनिधि करने की फीस
- (3) द्वारा 57 के अनुसार प्राप्ति के प्रथम दिनों की प्रतिनिधि की फीस

सिद्धांत-भूत 75000/-

विशेष फीस: भूकम्प-भूत 114000/- 553-00

- (1) आधारभूत पत्र या विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणिकरण पत्र
- (2) द्वारा 87 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) द्वारा 88 व 84 के अनुसार देर से सिद्धांत-पत्र प्रस्तुत होने अथवा अभावनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण पुनः नूतन
- (4) कमीशन तथा प्र... में का फीस तथा भुक्त
- (5) इतिहास द्वारा रशिदों करने पर भविष्य फीस
- (6) अंशदा फीस
- (7) मोहरबन्द लिफाके (जिसमें अंशदा-पत्र रखा हो) प्रमाणिकरण, धारण अथवा अंशदा कोष में की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा अंशदा की फीस
- (9) अन्य विशेष प्रक... की आय (जिसमें ... वषारों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित)

9-
 2-

योग फीस ... 564-00

इसका पान्य सौ - चौंसठ भाग।

8-2-94

प्राप्त होने की तारीख
 या प्रमाणिकरण तथा नोट फंकेट देने के इत्तफाकर और सीटाने
 जाने का पाने की तारीख

8-2-94

(Signature)

श्री जयसिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत निवासी जौलाना

2023

श्री जयसिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत निवासी जौलाना



विक्रमपत्र मुद्रांकन 4000/ पन्नाए हमार रुपया मात्र -
बैद्यु गेशन के एतराजमे 98000/- 9,98000/ एकबाय
चक्राह्यर रुपया मात्र।

राज्यक्रियु मद्राँर को मती 99800/ का लोन

में दि. नववर्षे हि. अजुनालेखी राजपुत शासनत जमर
20 वर्ष निजा सी. पोजवडली तेह। सिय वलमतगर एजेगाऊरम
ए राज स्थान का हूँ। जो दि. एस विक्रम पत्र का निष्ठा
रनकले हूँ. और विक्रेता हूँ।

आप अध्वरु श्री गणपतलवार, श्री सुना रिप. मेवाड
शांरिक शिक्षा सि. मीती. हीला-मीन्डर पंजीयन 106/08 दिना
392/1918 है। जो दि. एस विक्रमपत्र के गृहणकर्ता है। और
जसा है जिन्हें एस विक्रमपत्र में क्रेता के नाम से सम्बोधन
किये गये है।

(1) दि. ग्राम पोज वडली परकर सरकर चारण सीमा में चेरुज
हकका आकली नि. क्रेता के रगो को आरामी रनतरा मं. 223-224
222-324 रकवा 224 8 प. ग. वगानी 99-88 एकर रुपया
पमा लीस पेसा है। वत सीमा उल्लेख कर है।

(2) फमला गोपा नारु वगैरा गाडली यान की आरामी।

(3) रगोण - आम रास्ता रचना।

जवाहर सिंह

2222

पना म... ताक



(3) पुरव- सीमा मीटर।

(4) पाश्चिम-कमला गोजा नारु गडरी एवं सोहनबाप पि-कीसन बाप वंशोबाप-वसुधी गड-पेखा वजनाथ मंदिर। अथ एा-नि-मीटरपी आरामीगत।

अंतोर्ग वतः सीमा मध्य अपर अंशत सः संश्ले आरामी विवेतारी एका विक्रम के ली आभे मस्य सं है। और उसका अप भोग विक्रम ली कर रहा है।

(5) कि विक्रम को रूपये की आवश्यकता होने से प्रकृत मने १ मे बाणेश आरामी रुक्या ४४ पांच बीगा चवदा बिस्वा लगानी ०१ रु ४४ पैसा का एक बासत रचडम रगतेशरी राठठे आज दिनाङ्क ८।२।१९६४ का शुरुवातु सः शाली मरकोर वाड बटवाड नि दास पैसा संश्ले आभेशर आरामी पाताली कु मरा मी मस्य एक एक के के केता ६१००० असेर पनाए हगा रूपमा सिरे काजा वजन के अके फर से विक्रम कर देता है। विक्रमने ६१००० पनाए हगा रूपमा ली प्राप्त किमे है। वकम रमी लूरी सरकारी वैद्यनेशन के आभार पर एका मुल्य ५,१४००० एकदारन चवदा एगा का माना जाने से मह विक्रम पत्र राज्यादिम मुद्रांक कीमती ११४०० रूपमा पर तरली व दीयागंमो है। अ-क्रम संश्ले आरामी का केता को वकजा दे दिमा है। सो सीमा ली के नि एमे रे अतु श्रु अफके ग एने अप भोग करे।

जलका री ह

2022
बापा-प्रताप



(3) दि. 1/11/1950 को गैर मुद्रित आगामी का विक्रेता प्रणालि स्वामी है। इसमें अन्य किसी का कोई हक न हो सान है। विक्रेता को विक्रय कर कवजा सिपरे कर दीमा है। सो. 1/11/1950 को गैर मुद्रित आगामी का जैसा स्वामीत्व व अधिकार विक्रेता का है। वैसा ही आगामी का 21 सप्टेम्बर 1950 को विक्रेता सीमोली का ले चुका है। अब विक्रेता को ही स्वामीत्व व अधिकार कवजा सिपरे कर दीमा है। विक्रेता सीमोली ही एक मात्र स्वामी एवं अधिकारकारी है।


(4) दि. 1/11/1950 को गैर मुद्रित आगामी सर्व सार के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विचार से मुक्त है। अन्य किसी के हक व अधिकार का विक्रय की पूर्ति नहीं है। आगामी को विक्रेता विक्रेता अधिकार का किसी भी प्रकार का कोई नार निवार उपपन्न होना नहीं। जो इस का उपपन्न व निवार कारण का हकदार है। विक्रेता जिसे दार है। और रहेगा।

(5) दि. 1/11/1950 को गैर मुद्रित आगामी विक्रेता द्वारा आगामी का विक्रेता के नाम पर से विक्रेता अपने नाम पर परिष्कार कराने के। और आगामी का नाम अब से विक्रेता सीमोली का कराने।

(6) दि. 1/11/1950 को गैर मुद्रित आगामी का सारा हक व अधिकार विक्रेता सीमोली का है।
 नवलकर है

(Handwritten signature)

33



- (2) दि. यह आरामी अर्थात् निस ठाकर एव एमली है जिसमें का स्मनले लेमी है। कीड है मकेली बंधु चरते है।
- (3) दि. विक्रम आरामी की क्षीम सफेद उत्तर है।
- (4) दि. नम्रु खान व जिगसगी ररा की रगसरा श्री फाते की उत्तक साम है।
- (5) दि. यह आरामी आकारी फोज बडली पर वरी मामे है। आकारी फोज बडली से १- बस स्टैंड से १-१- परीसड के से १ सीवा भीर से पूरी है।
- (6) आगमन का रास्ता कना है की गली उपलब्ध नले है।
- (7) दि. इस आरामी के आस पास औधौधी क गली जम- न आवासीय उत्तिय नले है।
- (8) दि. यह आरामी नगरानी का कीड एके क्षेत्र में नले ठाकर गाम फोज बडली पंचायत क्षेत्र के अ- जा एरीया के अंतित है।
- (9) दि. भागे में कता बडाव नले है। इससे विशेष रकम देने वादा के अग्रहक नले है।
- (10) दि. विक्रम राशी १७० रूपए सही- और नास्त विक्र- फकर। पेज नं० २ सी वा. नं० १३ में १९७७ को ११ जपली रन- गो. पदाति म है। प्रथम पेज की वा. नं० १८ में १९७८ ११ सी-

200Rs. प्रमाण

श्री राजीवराज
मोहर
विक्रम नगर (२३०)

जयपुर

समय

जहाँ की जाँच में पहली पहचान है। सां. ८। २। १४४ व. का कलेक्टर
 श्री नवलखिंद जी शम्भूराव के कलेक्टर की क सम्पत्ती है। सुना १
 नो पेट कर अपने कलेक्टर की जना ली का र दिया। रावण
 काप आकर। नवलखिंद

साक्षी १ इन्द्र सिंह - ११/१० पिता श्री कल्याण सिंह - ११/१० पिता
 गुणदा की रेकी डि. राजलमके श्री श्री नवलखिंद जी शम्भूराव
 निवासी फौजवाड़ी की साक भीण्डर में है। मैं इनके पहचान कर
 में पन्ना के हाथों से साक्षी हूँ। २४/११/१४
 १४/११/१४

साक्षी २ सुरा लाल सुधा पिता श्री पन्ना लाल सुधा निवासी
 जिला इटावा के श्री नवलखिंद जी शम्भूराव निवासी
 फौजवाड़ी की साक भीण्डर में है। मैं इनके पहचान कर
 करण निवासी सुधा में साक्षी हूँ।
सुरा लाल सुधा
 २४/११/१४

दिनांक ८। २। १४४ १४४-४

स्थान भीड़ राज स्थान।

नवलखिंद

सम्पत्ती का नाम
 प्रदेस नं २४
 सं. २३। सी. ६०/-
 सं. २। सी. ११४६
 दिनांक ४-२-१४
नवलखिंद
 ४-२-१४


नवलखिंद
 उप. प्र. अधिकारी
 भीड़
 जिला इटावा (राज.)

नवलखिंद
 प्र. अधिकारी
 जिला इटावा (राज.)

आमठनामा इत ग्राम - फौजवाली तहसील - जयपुर जिला - राजस्थान



फास
जमीन = 2400
पट्टा = 12000



सच्चा प्रतिलिपि
335 के क्र.सं 1518 पर
वर्ज कर प्रतिलिपि दी गई है।

पट्टा नं. 12000

पत्रावली सं. 3/87

पट्टा विलेख

पट्टा नं. 7/1/97 एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिसे इसके आगे 'पट्टाकर्ता' कहा गया है और जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त पट्टा नं. 7/1/97 की भूमि का अधिग्रहण किया गया है) और दूसरी ओर श्री गणपतलाल मेनाविया (जिसके नाम 'मेनाविया' के रूप में उल्लेख किया गया है) के बीच की है।

मत: पट्टा नं. 7/1/97 में उक्त भूमि पर नगरीय पट्टा अधिकारों के अंजन के लिए पट्टा-कर्ता को आवंटन किया है।

और इतने पट्टा नं. 7/1/97 उक्त भूमि का पट्टा नं. 7/1/97 को इसमें इसके पत्रावली सं. 3/87 के तहत पट्टा नं. 7/1/97 का आवंटन किया गया है।

मत: यह विलेख इस बात का गवाही है कि: 1. उक्त पट्टा नं. 7/1/97 के अनुसार में और 2. 9, 8.00/- रुपये की राशि (दो रुपये के नोटों के रूप में) को इस विलेख के निष्पादन के पूर्व संदत्त की जाती है (जिस राशि की प्राप्ति को पट्टाकर्ता इसके द्वारा भूमि को आवंटित करता है तथा इसमें उसके आगे अर्जावृष्ट प्रतिनिधियों के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता इसके द्वारा पट्टा नं. 7/1/97 का आवंटन अनुसूची में ब्योरे बालो और उसमें वंशित भूमि जिसको सीमाएं उस पर लाल रंग में दिखाई गई हैं (जिसे इसमें इसके आगे पट्टा नं. 7/1/97 की भूमि कहा गया है) तारीख 7/1/97 के पट्टा नं. 7/1/97 द्वारा आरंभ किए जाने के लिये पट्टा नं. 7/1/97 करता है।

- 2. इसके पक्षकार इसके द्वारा पट्टा नं. 7/1/97 निम्नलिखित करार करते हैं-
 1. पट्टा नं. 7/1/97 को जारी रहने के दौरान पट्टा नं. 7/1/97 की भूमि का उस पर निर्मित भवनों को बाध अथवा हानि न पहुंचे या इससे परेशान न हो सके।
 2. पट्टा नं. 7/1/97 के अंतर्गत भूमि पर निर्मित भवनों के निर्माण के लिये कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितकरण नियम 1981 के उपबंधों के अधीन होगा।
 3. पट्टा नं. 7/1/97 को अंतिम पूर्व संहति के बिना पट्टा नं. 7/1/97 की भूमि का उपयोग जिस प्रयोजन के लिये पट्टा नं. 7/1/97 को जारी किया गया है उसमें भिन्न रूप में नहीं करेगा या उपयोग करने को अनुज्ञा नहीं देगा।
 4. पट्टा नं. 7/1/97 को संपरिवर्तन शुरू करने पर भूदान का निर्माण पट्टा विलेख जारी होने का तारीख से पांच वर्षों की कालावधि के भीतर करना होगा जिसमें विकल रहने पर पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् निर्माण पूरा होने तक उक्त क्षेत्र के लिए आरक्षित मूल्य का आधा प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अदा किया जाएगा।
 5. यदि किसी भी समय पक्षकारों के बीच इसी विलेख या उसके किसी खण्ड के निर्वहण अथवा प्रभाव संबंधी अथवा इसके अंतर्गत उक्त भूमि अधिकारों तथा दायित्वों संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उसको राजस्व मंचिव राजस्थान सरकार जयपुर के माध्यम से लिये निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उक्त विनिश्चय अंतिम और दोनों पक्षकारों पर अबाधकर होगा।

इसके प्राप्ति स्वरूप इसके पक्षकारों ने पहले उपर लिखित तारीख और वर्ष की इस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

पट्टा नं. 7/1/97 के हस्ताक्षर
पट्टाकर्ता, राजस्थान राज्य (उपखण्ड अधिकारी (कृषि भूमि संपादन) जिला उदयपुर द्वारा हस्ताक्षरित)
1 साक्षी
2 साक्षी

कीर्ती प्रति प्रमाणित

1/2

मानचित्र भूमि




- पक्षों- 1. उत्तर सीकमला गोपा नाऊ वंशराह
 2. बायल स्वयं की जाय आराजी
 3. पथ सीमा की पडर
 4. पठिनम सी कमल गोपा नाऊ वंशराह उगाडरीमान की आराजी

कैसाफे
 (परीक्षित नाम)

संख्या नं. 53-254-82-329

कुल क्षेत्रफल वर्ग गजों में 1400 वर्ग गज
 (3' x 3')

प्रतीक आनासीय



कार्यालय उप जिला कलकत्ता, बलभनपुर

- (1) कम संख्या 12/08
- (2) प्रा. पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 24-11-12
- (3) कार्यालय शुल्क 2/- रु. के कोषाधिकारी द्वारा
- (4) नाम कोपीस्ट हरि चंद्र
- (5) हस्ताक्षर कोपीस्ट
- (6) बतियावणी तैयार करने की तिथि 24-11-12
- (7) प्रतिलिपि देने की तिथि 24-11-12



फोटों प्रति प्रमाणित

मय सचिव अधिकारी
 (भूमि स्वायत्तपण)